उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-45 /2017/ 308 /92-2-2017-85एम/2010

लखनऊ :: दिनांक:: 10 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के फेज-7, भाग-2 के पैकेज संख्या-5474 के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में की गयी अनियमिततओं में अर्न्तग्रस्त पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2999/62-3-10-85एम/2010 दि0 10-09-2010 द्वारा श्री बृजेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मुरादाबाद सम्प्रति अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय मुख्य अभियन्ता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुये उक्त अनुशासनिक जॉच के सम्पादनार्थ विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, शासन को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन, के दिनांक 28-02-2017 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन के स्थान पर निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को एतदद्वारा पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव

संख्या-45/2017/308/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/ निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पूर्व जॉच अधिकारी/विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन से प्राप्त समस्त अभिलेख मूलरूप में इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण की नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जांच आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- श्री बृजेन्द्र कुमार, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-मुरादाबाद सम्प्रति अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय मुख्य अभियन्ता (प0क्षे0), ग्रा0 अभि0 वि0, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in